कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / 2022 / 1726

दिनांक :: 22 सितम्बर, 2022

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री अवधेश मीणा, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में दिनांक 16 सितम्बर, 2022 को मध्यान्ह पूर्व 11.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 04 अगस्त 2022 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

गत बैठक दिनांक **04 अगस्त 2022** का कार्यकारी समिति विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक **04 अगस्त 2022** का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक ने बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 4 अगस्त, 2022 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन करते हुए जारी कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 493 किस्म बारानी–तृतीय में कब्रिस्तान प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 493 किस्म बारानी–तृतीय में **कब्रिस्तान** प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

उपखण्ड अधिकारी, लूणी (शिविर प्रभारी प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021) जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 493 रकबा 18.16 बीघा किस्म बारानी–तृतीय में से **कब्रिस्तान** प्रयोजनार्थ 04 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 493 रकबा 18.16 बीघा किस्म बारानी–तृतीय राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 493 ग्राम बिसलपुर का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 अनुसार ग्रामीण एरिया में स्थित है। ग्रामीण एरिया डीसीआर अनुसार श्मशान

हेतु पृथक से उल्लेख नहीं है। मास्टर प्लान की रिपोर्ट बिन्दु संख्या 5.6.6 अनुसार भविष्य की आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्थलों का चयन कर श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थापित किये जा सकेंगे।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 493 ग्राम बिसलपुर की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 380 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है, जिसके क्रम में आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

प्रकरण पूर्व में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 4 अगस्त, 2022 के प्रस्ताव संख्या 7 में निर्णयार्थ रखा गया था। समिति द्वारा बैठक में बाद विचार–विमर्श कर सर्वसम्मति से कब्रिस्तान प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के नियमों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण कर वर्तमान मौका–स्थिति की स्पष्ट रिपोर्ट के साथ प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

इसके पश्चात् ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच, ग्राम पंचायत बिसलपुर द्वारा जरिये पत्रांक 71, दिनांक 31/08/2022 को प्रपत्र–स की प्रति संलग्न करते हुए सूचित किया गया कि उक्त खसरे में गत 50 वर्षों से अधिक समय से कब्रिस्तान के रूप में उपयोग लिया जा रहा है तथा ग्राम बिसलपुर में कब्रिस्तान हेतु पूर्व में कोई भी भूमि आवंटित नहीं है तथा प्रश्नगत भूमि के अलावा अन्य खसरे में कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन के लिए कोई प्रकरण/प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अतः राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 493 रकबा 18.16 बीघा किस्म बारानी–तृतीय में से **कब्रिस्तान** प्रयोजनार्थ 04 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 493 रकबा 18–16 बीघा किस्म बारानी तृतीय में 2000 वर्ग मीटर भूमि कब्रिस्तान हेतु **आरक्षित/आवंटन करने** का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 1465/2 किस्म बारानी–तृतीय में श्मशान प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 1465/2 किस्म बारानी–तृतीय में श्मशान प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

उपखण्ड अधिकारी, लूणी (शिविर प्रभारी प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021) जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 1465/2 रकबा 18.07 बीघा किस्म बारानी–तृतीय में से **शमशान** प्रयोजनार्थ 01 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 1465/2 रकबा 18.07 बीघा किस्म बारानी–तृतीय राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1465/2 ग्राम बिसलपुर का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 अनुसार ग्रामीण एरिया में स्थित है। ग्रामीण एरिया डीसीआर अनुसार श्मशान हेतु पृथक से उल्लेख नहीं है। मास्टर प्लान की रिपोर्ट बिन्दु संख्या 5.6.6 अनुसार भविष्य की आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्थलों का चयन कर श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थापित किये जा सकेंगें।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 1465/2 ग्राम बिसलपुर की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 379 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है, जिसके क्रम में आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

प्रकरण पूर्व में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 4 अगस्त, 2022 के प्रस्ताव संख्या 7 में निर्णयार्थ रखा गया था। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि राजस्व ग्राम बिसलपुर में कितने शमशान है तथा पूर्व में कितने शमशान हेतु कितनी भूमि आवंटित की जा चुकी है, आदि की सूचना प्राप्त कर वर्तमान मौका–रिपोर्ट के साथ प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावें।

इसके पश्चात् ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच, ग्राम पंचायत बिसलपुर द्वारा जरिये पत्रांक 71, दिनांक 31/08/2022 को प्रपत्र–स की प्रति संलग्न करते हुए सूचित किया गया कि उक्त खसरे में गत 50 वर्षों से अधिक समय से शमशान के रूप में उपयोग लिया जा रहा है तथा ग्राम बिसलपुर में कब्रिस्तान हेतु पूर्व में कोई भी भूमि आवंटित नहीं है तथा प्रश्नगत भूमि के अलावा अन्य खसरे में शमशान हेतु भूमि आवंटन के लिए कोई प्रकरण/प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 1465/2, रकबा 18.07 बीघा, किस्म बारानी–तृतीय में से **शमशान** प्रयोजनार्थ 01 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित अनुसार राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 1465/2, रकबा 18.07 बीघा, किस्म बारानी–तृतीय में से शमशान प्रयोजनार्थ 01 बीघा भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: राजस्व ग्राम भगतासनी के खसरा संख्या 81 किस्म गै.मु. गोचर में उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव

1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम भगतासनी के खसरा संख्या 81 किस्म गै.मु. गोचर में उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

उपखण्ड अधिकारी, लूणी (शिविर प्रभारी प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021) जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम भगतासनी के खसरा संख्या 81 रकबा 4.0469 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर में से **उपस्वास्थ्य केन्द्र** प्रयोजनार्थ 0.1619 हैक्टेयर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम भगतासनी के खसरा संख्या 81 रकबा 4.0469 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 81 ग्राम भगतासनी का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 अनुसार यू–2 में स्थित है। उक्त भूमि स्टेट हाईवे पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 200 फीट, 100 फीट प्लांटेशन बेल्ट हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार यू–2 में गर्वमेन्ट डिसपेन्सरी को 60 फीट व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केस रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 81 ग्राम भगतासनी की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 391 दिनांक 14.06.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा उपस्वास्थ्य भवन प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

प्रकरण पूर्व में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16 जून, 2022 के प्रस्ताव संख्या 7 में निर्णयार्थ रखा गया था। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण में सक्षम अधिकारी से भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र–स प्राप्त नहीं हुआ है, अतः प्रपत्र–स प्राप्त होने पर प्रकरण आगामी बैठक में निर्णयार्थ रखा जावें। इसके पश्चात् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र–स की प्रति प्राप्त हुई है।

अतः राजस्व ग्राम भगतासनी के खसरा संख्या 81, कुल रकबा 4.0469 हैक्टेयर, किस्म गै.मु. गोचर में से उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित अनुसार राजस्व ग्राम भगतासनी के खसरा संख्या 81, कुल रकबा 4.0469 हैक्टेयर, किस्म गै.मु. गोचर में से उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: राजस्व ग्राम सागासनी के खसरा संख्या 60 किस्म गै.मु. गोचर में उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम सागासनी के खसरा संख्या 60 किस्म गै. मु. गोचर में उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

उपखण्ड अधिकारी, लूणी (शिविर प्रभारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021) जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम सागासनी के खसरा संख्या 60 रकबा 16.6973 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर में से **उपस्वास्थ्य केन्द्र** प्रयोजनार्थ 01 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम सागासनी के खसरा संख्या 60 रकबा 16.6973 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 60 ग्राम सागासनी का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 अनुसार यू-2 में स्थित है। मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार यू-2 में गर्वमेन्ट डिसपेन्सरी को 60 फीट व अधिक सड़क मार्गाधिकार व अन्य पब्लिक और सेमीपब्लिक उपयोग को 80 फीट व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर As per requirement of concerned department दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा संख्या 60 ग्राम सागासनी की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 347 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा उपस्वास्थ्य भवन प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

प्रकरण पूर्व में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16 जून, 2022 के प्रस्ताव संख्या 9 में निर्णयार्थ रखा गया था। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण में सक्षम अधिकारी से भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र-स प्राप्त नहीं हुआ है, अतः प्रपत्र-स प्राप्त होने पर प्रकरण आगामी बैठक में निर्णयार्थ रखा जावें। इसके पश्चात् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र-स की प्रति प्राप्त हुई है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम सागासनी के खसरा संख्या 60, कुल रकबा 16.6973 हैक्टेयर, किस्म गै.मु. गोचर में से उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित अनुसार राजस्व ग्राम सागासनी के खसरा संख्या 60, कुल रकबा 16.6973 हैक्टेयर, किस्म गै.मु. गोचर में से उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 05 किस्म गै.मु. गोचर में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 05 किस्म गै.मु. गोचर में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

उपखण्ड अधिकारी, लूणी (शिविर प्रभारी प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021) जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 05 रकबा 63.17 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से **पशु चिकित्सा उपकेन्द्र** प्रयोजनार्थ 01 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राज्स्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 05, रकबा 63.17 बीघा, किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवेदित भूमि पर वर्तमान में श्री कृष्णा चांद कंवर गौशाला समिति उचियारडा (पंजीयन दिनांक 16/02/2015 क्र. 242/ जोधपुर 2014–15) द्वारा चार दीवारी बना रखी है। इसी बांउड्री में पश्चिम दक्षिण की तरफ रोड पर ग्राम पंचायत द्वारा 0.10 बीघा भूमि पशु चिकित्सालय हेतु मांग की है। गौशाला का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान प्रचलित मास्टर डवलपमेण्ट प्लान/जोनल डवलपमेण्ट प्लान अनुसार पशु चिकित्सा उपकेन्द्र अनुज्ञेय है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 05 ग्राम उचियारडा की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 389, दिनांक 14.06.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। आज दिनांक तक कोई आपत्ति या उजर/एतराज अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रकरण पूर्व में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16 जून, 2022 के प्रस्ताव संख्या 8 में निर्णयार्थ रखा गया था। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण में सक्षम अधिकारी से भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र–स प्राप्त नहीं हुआ है, अतः प्रपत्र–स प्राप्त होने पर प्रकरण आगामी बैठक में निर्णयार्थ रखा जावें। इसके पश्चात् संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर के माध्यम से भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र–स की प्रति प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार 1071.8 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की है।

अतः राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 05, कुल रकबा 63.17 बीघा, किस्म गै.मु. गोचर में से पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ 1071.8 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक ने बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित अनुसार राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 05, कुल रकबा 63.17 बीघा, किस्म गै.मु. गोचर में से पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 474/6 किस्म बारानी प्ट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ क्वार्टर प्रयोजनार्थ 5 बीघा भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 474/6 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ क्वार्टर हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–स, परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ क्वार्टर हेतु ग्राम तिंवरी खसरा संख्या 474/6 किस्म बारानी प्ट में भूमि आवंटन करने हेतु आवेदन पेश किया है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्टाफ क्वार्टर हेतु ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 474/6 रकबा 5 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ जो कि जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है और मौके पर रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार एमडीपी–2031के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित है एवं Public utilities को सभी सडक पर अनुज्ञेय है। नविवि के आदेश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार राजकीय उपयोग हेतु प्रस्तावित उपयोग अनुज्ञेय किया जा सकता है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु कोई पत्रावली विचाराधीन नही है।

प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 01.08.2022 को उजर एतराज/आपत्ति हेतु अपलोड करवाया गया था जिसके संबंध में कोई आपत्ति/उजर एतराज प्राप्त नही हुआ है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिंवरी खसरा संख्या 474/6 में 4000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन किया जा चुका है। स्टाफ क्वार्टर हेतु अतिरिक्त भूमि की माँग की है।

अतः ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 474/6 रकबा 4093.7 वर्गमीटर किस्म बारानी–चतुर्थ में से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्टाफ क्वार्टर के लिए 05 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने हेतु /निणर्य हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपस्थित निदेशक–आयोजना द्वारा अवगत कराया गया कि आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि में 100 फीट चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी भी शामिल है, जिस भूमि को अग्र सेट बैक में उपयोग में ली जा सकेगी।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में 4000 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन पूर्व में किया जा चुका है। अब स्टाफ क्वार्टर प्रयोजनार्थ 5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की जा रही है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 474/6 रकबा 4093.7 वर्गमीटर किस्म बारानी–चतुर्थ में से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्टाफ क्वार्टर हेतु 5 बीघा भूमि आवंटन करने की अनुशंषा के साथ संपूर्ण तथ्य (100 फीट चौडी वृक्षारोपट्टी बाबत) अंकित करते हुए राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 8 :: ग्राम चौखा के खसरा संख्या 76 में दंतोपंत ढेगडी नगर योजना में राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय हेतु रकबा 03 बीघा भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम चौखा के खसरा संख्या 76 में दंतोपंत ढेगडी नगर योजना में राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय हेतु भूमि आवंटन के संबंध में आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, जोधपुर संभाग, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र स तथा परिशिष्ट–1 प्रस्तुत कर चौखा दंतोपंत ढेगडी नगर के खसरा संख्या 76 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 03 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार दंतोपंत ढेगडी नगर ग्राम चौखा खसरा संख्या 76 जो कि योजना में विद्यालय हेतु आरक्षित है तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार भूमि का भू–उपयोग जेडडीपी अनुसार **Public semi public** में आरक्षित है। 18 मी. जेडडीपी की प्रपोज सडक पर आरक्षित है। मास्टर प्लान 2031 पब्लिक सेमी पब्लिक डीसीआर 18 मी. व अधिक मार्गाधिकार पर नर्सरी, प्राइमरी स्कूल एवं मिडल स्कूल अनुज्ञेय है।

विधी शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 01.08.2022 को उजर एतराज/आपत्ति हेतु अपलोड करवाया गया था जिसके संबंध में कोई आपत्ति/उजर एतराज प्राप्त नही हुआ है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार दंतोपंत ढेगडी नगर ग्राम चौखा के खसरा संख्या 76 में कुल रकबा 03 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ संभागीय मुख्यालय पर– 2000 वर्गमीटर तक तथा अन्य स्थानों पर 3000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

आवंटन नीति – 2015 के अनुसार राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय हेतु 2000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन का प्रावधान है। अतः संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, जोधपुर संभाग, जोधपुर द्वारा ग्राम चौखा दंतोंपत ढेगड़ी नगर के खसरा संख्या 76 में दंतोपंत ढेगडी नगर योजना में राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय हेतु आवेदन किया है। 2000 वर्गमीटर भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय हेतु आवंटन करने के लिए प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाने वास्ते विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार ग्राम चौखा दंतोपंत ढेगडी नगर के खसरा संख्या 76 में राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय हेतु 2000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 269 किस्म गै. मु. मगरा में रकबा 10 बीघा भूमि राजकीय माध्यमिक विद्यालय हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 269 किस्म गै. मु. मगरा में भूमि राजकीय माध्यमिक विद्यालय हेतु भूमि आवंटन के संबंध में आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र स तथा परिशिष्ट–1 प्रस्तुत कर ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 269 किस्म गे. मु. मगरा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बडा कोटेचा में 10 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 269 रकबा 38–11 बीघा किस्म गै. मु. मगरा में स्थित है। उक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है तथा मौके पर विद्यालय मय चार दिवारी बना हुआ है और विद्यालय संचालित हो रहा है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग एमडीपी–2031 अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित है। ग्रामीण क्षेत्र की डीसीआर अनुसार 24 मी. व अधिक मार्गाधिकार पर सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी स्कूल अनुज्ञेय है।

विधी शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 23.06.2022 को उजर एतराज/आपत्ति हेतु अपलोड करवाया गया था जिसके संबंध में कोई आपत्ति/उजर एतराज प्राप्त नही हुआ है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 269 कुल रकबा 10 बीघा की कोई पत्रावली राजकीय माध्यमिक विद्यालय हेतु विचाराधीन नही है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ संभागीय मुख्यालय पर– 4000 वर्गमीटर तक तथा अन्य स्थानों पर 6000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

आवंटन नीति – 2015 के अनुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालय हेतु 4000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन का प्रावधान है। अत जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर द्वारा ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 269 किस्म गै. मु. मगरा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय हेतु आवेदन किया है। 4000 वर्गमीटर भूमि राजकीय माध्यमिक विद्यालय ग्राम बडा कोटेचा हेतु आवंटन करने के लिए प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाने वास्ते विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार 4000 वर्गमीटर भूमि राजकीय माध्यमिक विद्यालय ग्राम बडा कोटेचा हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 196 किस्म गै. मु. गोचर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पाबूजी का ओरण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 196 किस्म गै. मु. गोचर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पाबूजी का ओरण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र स तथा परिशिष्ट–1 प्रस्तुत कर ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 196 किस्म गे. मु. गोचर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पाबूजी का ओरण बडा कोटेचा में 10 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 196 रकबा 87–14 बीघा किस्म गै. मु. गोचर में स्थित है। उक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है तथा मौके पर विद्यालय मय चार दिवारी बना हुआ है। विद्यालय सचांलित है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग एमडीपी–2031 अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित है। ग्रामीण क्षेत्र की डीसीआर अनुसार 24 मी. व अधिक मार्गाधिकार पर स्कूल, नर्सरी, प्राइमरी, मिडल स्कूल अनुज्ञेय है।

विधी शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 23.06.2022 को उजर एतराज/आपत्ति हेतु अपलोड करवाया गया था जिसके संबंध में कोई आपत्ति/उजर एतराज प्राप्त नही हुआ है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 196 की कोई पत्रावली राउप्रा विद्यालय पाबूजी का ओरण हेतु विचाराधीन नही है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ संभागीय मुख्यालय पर– 2000 वर्गमीटर तक तथा अन्य स्थानों पर 3000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

आवंटन नीति – 2015 के अनुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालय हेतु 2000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन का प्रावधान है। अत जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर , द्वारा ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 196 किस्म गै. मु. गोचर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पाबूजी का ओरण हेतु आवेदन किया है। 2000 वर्गमीटर भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पाबूजी का ओरण ग्राम बडा कोटेचा हेतु आवंटन करने के लिए प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाने वास्ते विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार 2000 वर्गमीटर भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पाबूजी का ओरण ग्राम बडा कोटेचा हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: ग्राम पंचायत उदयसर के ग्राम देवगढ के खसरा संख्या 584 किस्म गै. मु. गोचर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रिकडो की ढाणी देवगढ हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम पंचायत उदयसर के ग्राम देवगढ के खसरा संख्या 584 किस्म गै. मु. गोचर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रिकडो की ढाणी हेतु भूमि आवंटन के संबंध में आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र स तथा परिशिष्ट–1 प्रस्तुत कर ग्राम देवगढ के खसरा संख्या 584 किस्म गे. मु. गोचर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रिकडो की ढाणी देवगढ (उदयसर) में 01 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम देवगढ के खसरा संख्या 584 रकबा 3–17 बीघा किस्म गै. मु. गोचर में स्थित है। उक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है तथा मौके पर विद्यालय के कमरे बने हुए है और विद्यालय संचालित है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग एमडीपी–2031 अनुसार **Highway corridor Zone{U3} Plantation belt {100} along NH Marked location 60 m master plan** की सडक **NH** पर स्थित है। एमडीपी–20312 डीसीआर के अनुसार सरकारी विद्यालय अनुज्ञेय है।

विधी शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 23.06.2022 को उजर एतराज/आपत्ति हेतु अपलोड करवाया गया था जिसके संबंध में कोई आपत्ति/उजर एतराज प्राप्त नही हुआ है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम देवगढ के खसरा संख्या 584 कुल रकबा 01 बीघा की कोई पत्रावली राउप्रा विद्यालय हेतु विचाराधीन नही है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ संभागीय मुख्यालय पर– 2000 वर्गमीटर तक तथा अन्य स्थानों पर 3000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

आवंटन नीति – 2015 के अनुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालय हेतु 2000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन का प्रावधान है। अत जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर, द्वारा ग्राम देवगढ के खसरा संख्या 584 किस्म गै. मु. गोचर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु आवेदन किया है। 2000 वर्गमीटर भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु आवंटन करने के लिए प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाने वास्ते विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु ग्राम देवगढ़ के खसरा संख्या 584 में 1 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 425 किस्म गै. मु. गोवा व 424 किस्म.गै. मु. पहाड में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालूंगा में भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 425 किस्म गै. मु. गोवा व 424 किस्म.गै.मु. पहाड में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालूंगा में भूमि आवंटन के संबंध में आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र स तथा परिशिष्ट–1 प्रस्तुत कर ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 425 किस्म गे. मु. गोवा व खसरा संख्या 424 किस्म.गै.मु. पहाड में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालूंगा में 06 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार रा. उ. मा. विद्यालय हेतु ग्राम मालूंगा के खसरा सं. 425 रकबा 6.09 बीघा किस्म गै. मु. गोवा एवं खसरा सं. 424 रकबा 100.13 बीघा किस्म गै. मु. पहाड जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के स्वामित्व की भूमि है तथा मौके पर भवनमय चारदिवारी बनी हुई है एवं विद्यालय संचालित हो रहा है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग एमडीपी–2031 अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित है। ग्रामीण क्षेत्र एमडीपी–2031 की ओसीआर अनुसार 18 मी. व अधिक मार्गाधिकार पर प्राइमरी स्कुल, प्ले ग्राउण्ड अनुज्ञेय है।

विधी शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 22.06.2022 को उजर एतराज/आपत्ति हेतु अपलोड करवाया गया था जिसके संबंध में कोई आपत्ति/उजर एतराज प्राप्त नही हुआ है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 425 व 424 की पत्रावली राउमा विद्यालय हेतु विचाराधीन नही है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा माध्यमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ संभागीय मुख्यालय पर– 4000 वर्गमीटर तक तथा अन्य स्थानों पर 6000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

आवंटन नीति – 2015 के अनुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालय हेतु 4000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन का प्रावधान है। अत जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर , द्वारा ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 425 किस्म गै. मु. गोवा व 424 किस्म गै. मु. पहाड में राजकीय माध्यमिक विद्यालय हेतु आवेदन किया है। 4000 वर्गमीटर भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु आवंटन करने के लिए प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 425 किस्म गै. मु. गोवा व 424 किस्म गै. मु. पहाड में राजकीय माध्यमिक विद्यालय हेतु 4000 भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 513 किस्म.गै.मु. मगरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय नटो की ढाणी में भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 513 किस्म.गै.मु. मगरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय नटो की ढाणी में भूमि आवंटन के संबंध में आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र स तथा परिशिष्ट–1 प्रस्तुत कर ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 513 किस्म.गै.मु. मगरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीमो की ढाणी में 04 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 513 रकबा 19.9753 है यानि 123.08 बीघा किस्म गै.मु. मगरा जो जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के स्वामित्व की भूमि है में स्थित है जो मौके पर विद्यालय भवन मय चार दिवारी बना हुआ है एवं संचालित है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि एमडीपी –2031 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की डीसीआर के अनुसार 18 मीटर व अधिक मार्गाधिकार पर **Primary, Middle School, Play Ground** अनुज्ञेय है।

विधी शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 23.06.2021 को आपत्ति हेतु अपलोड करवाया गया था जिसके संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 513 कुल रकबा 04 बीघा भूमि की राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीमो की ढाणी हेतु अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ संभागीय मुख्यालय पर– 2000 वर्गमीटर तक तथा अन्य स्थानों पर 3000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

आवंटन नीति – 2015 के अनुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु 2000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन का प्रावधान है। अत जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर , द्वारा ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 513 किस्म गै. मु. मगरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु आवेदन किया है। 2000 वर्गमीटर भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु आवंटन करने के लिए प्रकरण कार्यकारी

समिति कि बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु रखा जाने वास्ते अवलोकनार्थ उचित आदेशार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 513 किस्म गै. मु. मगरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 111 किस्म.गै.मु. पहाड़ में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीमो की ढाणी में भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 111 किस्म.गै.मु. पहाड़ में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीमो की ढाणी में भूमि आवंटन के संबंध में आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र स तथा परिशिष्ट–1 प्रस्तुत कर ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 111 किस्म.गै.मु. पहाड़ में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीमो की ढाणी में 04 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 111 रकबा 197.3163 है यानि 1218.19 बीघा किस्म गै.मु. पहाड़ जो जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के स्वामित्व की भूमि है में स्थित है जो मौके पर विद्यालय भवन मय चार दिवारी बना हुआ है एवं संचालित है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि एमडीपी –2031 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की डीसीआर के अनुसार 18 मीटर व अधिक मार्गाधिकार पर **Primary, Middle School, Play Ground** अनुज्ञेय है।

विधी शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 23.06.2021 को आपत्ति हेतु अपलोड करवाया गया था जिसके संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 111 कुल रकबा 04 बीघा भूमि की राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीमो की ढाणी हेतु अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि / 3 / 2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ संभागीय मुख्यालय पर– 2000 वर्गमीटर तक तथा अन्य स्थानों पर 3000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

आवंटन नीति – 2015 के अनुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु 2000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन का प्रावधान है। अत जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर , द्वारा ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 111 किस्म गै. मु. पहाड में राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु आवेदन किया है। 2000 वर्गमीटर भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु आवंटन करने के लिए प्रकरण कार्यकारी समिति कि बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु रखा जाने वास्ते अवलोकनार्थ उचित आदेशार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 111 किस्म गै. मु. पहाड में राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 375/2 किस्म.गै.मु. गौचर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय राईको की ढाणी में 10 बीघा भूमि आवंटन बाबत्।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 375/2 किस्म.गै.मु. गौचर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय राईको की ढाणी में भूमि आवंटन के संबंध में आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र स तथा परिशिष्ट–1 प्रस्तुत कर ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 375/2 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु राईको की ढाणी में 10 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 375/2 रकबा 6.3293 है यानि 39.02 बीघा किस्म गै.मु. गोचर जो जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के स्वामित्व की भूमि है में स्थित है जो मौके पर विद्यालय भवन मय चार दिवारी बना हुआ है एवं संचालित है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि एमडीपी –2031 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की डीसीआर के अनुसार 18 मीटर व अधिक मार्गाधिकार पर **Primary School** अनुज्ञेय है।

विधी शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 23.06.2021 को आपत्ति हेतु अपलोड करवाया गया था जिसके संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 375/2 कुल रकबा 10 बीघा भूमि की राजकीय प्राथमिक विद्यालय राईको की ढाणी हेतु अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ संभागीय मुख्यालय पर– 2000 वर्गमीटर तक तथा अन्य स्थानों पर 3000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

आवंटन निति – 2015 के अनुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु 2000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन का प्रावधान है। अत जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर , द्वारा ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 375/2 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु आवेदन किया है। 2000 वर्गमीटर भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु आवंटन करने के लिए प्रकरण कार्यकारी समिति कि बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु रखा जाने वास्ते अवलोकनार्थ उचित आदेशार्थ प्रस्तुत ळें

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 375/2 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 70 किस्म गै.मु. गोचर में राजकीय पशु चिकित्सालय हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 70 किस्म गै.मु. गोचर में राजकीय पशु चिकित्सालय हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

संयुक्त निदेशक, पशु पालन विभाग द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 70 रकबा 55–17 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में राजकीय पशु चिकित्सालय हेतु 2 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 70रकबा 55–17 बीघा किस्म गै. मु. गोचर जो जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की स्वामित्व की भूमि है। और प्रस्तावित भूमि के ऊपर से L.T. लाईन गुजर रही है।

प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 में उपखण्ड अधिकारी, ओसियां एवं सरपंच ग्राम पंचायत संतोडा खुर्द द्वारा 02 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 70 ग्राम संतोडा खुर्द का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 अनुसार Rural area में आरक्षित हैं। मास्टर प्लान–2031 की Rural area की DCR में राजकीय पशु चिकित्सालय का पृथ्क से उल्लेख नहीं है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा सख्या 70 ग्राम संतोडा खुर्द की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 23/06/2022 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं

सामुदायिक स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ 4000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 70 रकबा 55—17 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से राजकीय पशु चिकित्सालय हेतु 02 बीघा के लिए भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राजकीय पशु चिकित्सालय हेतु 1000 वर्ग मीटर भूमि (राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियां अनुसार) निःशुल्क आवंटित कर दी जावे तथा चाही गयी भूमि में से शेष (1000 वर्ग मीटर भूमि) आवंटित करने हेतु औचित्य सहित प्रस्ताव राज्य सरकार को कार्यकारी समिति की शेष भूमि आवंटन की अनुशंषा के साथ स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 17 :: ग्राम खीवसिंह नगर, मालूंगा के खसरा संख्या 333 किस्म गै.मु. गोचर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु 07 बीघा भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम खीवसिंह नगर, मालूंगा के खसरा संख्या 333 किस्म गै.मु. गोचर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक, जोधपुर , शिक्षा विभाग द्वारा आवंटन नीति—2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र—स' में आवेदन पेश कर ग्राम खीवसिंह नगर, मालूंगा के खसरा संख्या 333 रकबा 136—13 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु 7 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम खीवसिंह नगर, मालूंगा के खसरा संख्या 333 रकबा 136—13 बीघा किस्म गै.मु. गोचर जो जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की स्वामित्व की भूमि है। मौके पर विद्यालय भवनमय चार दिवारी बना हुआ है। एवं संचालित है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 333 ग्राम खीवसिंह नगर, मालूंगा का भू—उपयोग मास्टर प्लान—2031 अनुसार Rural area में आरक्षित हैं। मास्टर प्लान—2031 की DCR अनुसार 18m व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा सख्या 333 ग्राम खीवसिंह नगर, मालूंगा की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 23 / 06 / 2022 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

संयुक्त शासन सचिव—प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि / 3 / 2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ

संभागीय मुख्यालय पर– 2000 वर्गमीटर तक तथा अन्य स्थानों पर 3000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः ग्राम खीवसिंह नगर, मालूंगा के खसरा संख्या 333 रकबा 136–13 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से राजकीय प्राथमिक विद्यालय के लिए 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय के लिए 2000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 :: ग्राम रोहिल्ला कंला जोगियो की ढाणी के खसरा संख्या 556 किस्म गै.मु. भाकर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम रोहिल्ला कंला के खसरा संख्या 556 किस्म गै.मु. भाकर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय जोगियो की ढाणी हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक, जोधपुर , शिक्षा विभाग द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर ग्राम रोहिल्ला कंला जोगियो की ढाणी के खसरा संख्या 556 रकबा 1416–08 बीघा किस्म गै.मु. भाकर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम रोहिल्ला कंला,जोगियो की ढाणी के खसरा संख्या 556 रकबा 1416–08 बीघा किस्म गै.मु. भाकर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की स्वामित्व की भूमि है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 556 ग्राम रोहिल्ला कंला का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 अनुसार यू–2 में आरक्षित हैं। मास्टर प्लान–2031 की DCR अनुसार 18m व अधिक मार्गाधिकार पर Govt. school अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा सख्या 556 ग्राम रोहिल्ला कंला की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 23 / 06 / 2022 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि / 3 / 2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ संभागीय मुख्यालय पर–2000 वर्गमीटर तक तथा अन्य स्थानों पर 3000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः ग्राम रोहिल्ला कंला के खसरा संख्या 556 रकबा 1416–08 बीघा किस्म गै.मु. भाकर में से राजकीय प्राथमिक विद्यालय जोगियो की ढाणी के लिए भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय जोगियो की ढाणी के लिए 2000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 19 :: ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 किस्म गै.मु. गोचर में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 किस्म गै.मु. गोचर में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 किस्म गै.मु. गोचर में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु 1 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 किस्म गै.मु. गोचर उक्त खसरा राजस्व जमाबन्दी अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के स्वामित्व में दर्ज है

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 157 ग्राम उदयसर का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 अनुसार ग्रामीण क्षैत्र में आरक्षित हैं। मास्टर प्लान–2031 की Rural area dh DCR अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र का पृथ्क से उल्लेख नहीं है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा सख्या 157 ग्राम उदयसर की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 23 / 06 / 2022 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि / 3 / 2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु 500 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 किस्म गै.मु. गोचर में से उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण के लिए 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 किस्म गै.मु. गोचर में से उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण के लिए 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 20 :: ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 किस्म गै.मु. गोचर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 04 बीघा भूमि आवंटन के संबंध में।त्र

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 किस्म गै.मु. गोचर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 रकबा 1066–07 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 4 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 रकबा 1066–07 बीघा किस्म गै.मु. गोचरराजस्व रेकर्ड अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के स्वामित्व में दर्ज है

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 157 ग्राम उदयसर का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 अनुसार ग्रामीण क्षैत्र में आरक्षित हैं। मास्टर प्लान–2031 की DCR अनुसार ग्रामीण क्षैत्र में 24उ व अधिक मार्गाधिकार पर Govt. school अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा सख्ंया 157 ग्राम उदयसर की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 23/06/2022 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ संभागीय मुख्यालय पर–2000 वर्गमीटर तक तथा अन्य स्थानों पर 3000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 रकबा 1066–07 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 रकबा 1066–07 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 2000 वर्गमीटर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 21 :: ग्राम आगोलाई के खसरा संख्या 1155 किस्म गै.मु. गोचर में आई .टी . आई प्रयोजनार्थ 16.01 बीघा भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम आगोलाई के खसरा संख्या 1155 किस्म गै.मु. गोचर में आई .टी .आई हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

उपाचार्य, आयुक्त कौशल नियोजन एवं उघमिता विभाग द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर ग्राम आगोलाई के खसरा संख्या 1155रकबा 477–05 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में आई .टी .आई हेतु 16–01 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम आगोलाई के खसरा संख्या 1155 रकबा 477–05 बीघा किस्म गै.मु. गोचर जो जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की स्वामित्व की भूमि है

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1155ग्राम आगोलाईका भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 अनुसार यू–3 में आरक्षित हैं। यू–3 डी.सी.आर में पृथ्क आई.टी.आई का उल्लेख नहीं है। परन्तु Centeral/State Govt Spouspred Projects अनुज्ञेय दर्शाया है सरकारी ITI उपयोग हेतु आवंटन कार्यवाही की जा सकती है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा सख्ंया 1155 ग्राम आगोलाई की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 23/06/2022 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा आई.टी.आई प्रयोजनार्थ संभागीय मुख्यालय पर– 10000 वर्गमीटर तक तथा अन्य स्थानों पर 13000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः ग्राम आगोलाईके खसरा संख्या 1155 रकबा 477–05 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से आई. टी.आई के लिए 10,000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार ग्राम आगोलाई के खसरा संख्या 1155 रकबा 477–05 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से आई.टी.आई के लिए 10,000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 22 :: जोधपुर मे गैर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के छात्र–छात्राओ हेतु ग्राम लोरडी पण्डित जी के खसरा संख्या 98 मे से 6 से 8 हेक्टेयर में 400 छात्र छात्राओ की क्षमता का आवासीय विद्यालय स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1	जोधपुर मे गैर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के छात्र–छात्राओ हेतु ग्राम लोरडी पण्डित जी के खसरा संख्या 98 मे से 6 से 8 हेक्टेयर में 400 छात्र छात्राओ की क्षमता का आवासीय विद्यालय स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन के संबंध	जोधपुर मे गैर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के छात्र–छात्राओ हेतु ग्राम लोरडी पण्डित जी के खसरा संख्या 98 मे से 6 से 8 हेक्टेयर में 400 छात्र छात्राओ की क्षमता का आवासीय विद्यालय स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन के संबंध में

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के अनुरूप प्रपत्र "स" में आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम लोरड़ी पण्डित जी के खसरा सं 98 में गैर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के छात्र–छात्राओं को गुणवता पूर्ण शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से जोधपुर में 400 छात्र–छात्राओं की क्षमता का आवासीय विद्यालय स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम लोरड़ी पण्डित जी के खसरा सं 98 का मौका देखा गया। मौके पर उक्त भूमि प्राधिकरण की सीएमजेएवाई योजना के पूर्व दिशा व सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के उतर दिशा में सिथत है जो मौके पर लगभग 50 से 60 बीघा भूमि रिक्त पड़ी है जिसमें किसी प्रकार का निर्माण नही है।

ग्रम लोरडी पण्डित जी खसरा सं 98 में रकबा 287.01 बीघा भूमि किस्म गै.मु. गौचर जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा रिपोर्ट अनुसार शेष भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2031 के अनुसार यू–2 में आरक्षित हैं। मास्टर प्लान 2031 की यू–2 डीसीआर के अनुसार 18 एम व अधिक मार्गाधिकार पर **Govt School** एवं **Intgerated Residential School with hostel facilities** अनुज्ञेय हैं।

विधि शाखा रिपोर्ट अनुसार उक्त ग्राम लोरडी पण्डित जी के खसरा न 98 में कोई वाद विवाद नही है। उक्त खसरे में आम सूचना दिनांक 18.8.2022 को प्रकाशित करवा दी गई है। इसमें कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

सयुंक्त शासन सचिव –प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ3 / (55)नविवि / 3 / 2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत राजस्थान के नगरीय निकायो (विकास प्राधिकरणो, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासो, नगर निगमों / परिषदो / मण्डलों) को निर्देशो दिये जाते है कि किसी भी संस्था को चाहे वे सरकारी हो या

अर्द्धसरकारी हो या चेरीटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नही की जावे चाहे व आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।

अतः भूमि नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत ग्राम लोरड़ी पण्डितजी के खसरा संख्या 98 में से 6 हेक्टेयर भूमि किस्म गै.मु गौचर में गैर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के छात्र–छात्राओं को गुणवता पूर्ण शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से जोधपुर में 400 छात्र–छात्राओं की क्षमता का आवासीय विद्यालय स्थापित करने हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार को कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में प्रेषित कर दिया गया है। अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 23 :: राजस्व ग्राम करवड़ में FINTECH DIGITAL UNIVERSITY हेतु खसरा न. 453 में अतिरिक्त भूमि आवंटन हेतु।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1	राजस्व ग्राम करवड़ में FINTECH DIGITAL UNIVERSITY हेतु खसरा न. 453 में अतिरिक्त भूमि आवंटन	राजस्व ग्राम करवड़ में FINTECH DIGITAL UNIVERSITY हेतु खसरा न. 453 में अतिरिक्त भूमि आवंटन करने हेतु

सूचना प्रोद्योगिकी और सचांर विभाग द्वारा द्वारा आवंटन नीति–2015 के अनुरूप प्रपत्र "स" में आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम करवड़ के खसरा संख्या 453 में अतिरिक्त भूमि किस्म बारानी चतुर्थ में FINTECH DIGITAL UNIVERSITY हेतु 25 बीघ 05 बिस्वा अतिरिक्त भूमि आवंटन की मांग की गई है। पूर्व में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.12.2021 के द्वारा खसरा सं 453 व 426 ग्राम करवड़ में 66 बीघा भूमि FINTECH DIGITAL UNIVERSITY को भूमि आवंटित की जा चुकी है।

ग्राम करवड़ में FINTECH DIGITAL UNIVERSITY हेतु चाही गई अतिरिक्त भूमि खसरा न. 453 किस्म बारानी चतुर्थ जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा रिपोर्ट अनुसार शेष भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2031 के अनुसार knowledge city में आरक्षित है। मास्टर प्लान 2031 की डीसीआर अनुसार 30 M व अधिक मार्गाधिकार पर Collage, university professional instiution अनुज्ञेय है। विधि शाखा रिपोर्ट अनुसार उक्त ग्राम करवड़ के खसरा न 453 में कोई वाद विवाद नही है। उक्त खसरे में आम सूचना दिनांक 16.8.2022 को प्रकाशित करवा दी गई है। इस संबंध में आपत्ति हेतु निर्धारित अवधि कोई में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

आवंटन नीति–2015 के बिन्दू संख्या 6.3 के अनुसार किसी भी सस्था के लिए आवंटन की विशेष रियायती दर राज्य सरकार द्वारा आदेशित हो जाने के बाद उसके द्वारा अपनी परियोजना के

लिए अतिरिक्त भूमि की मांग नही की जायेगी और यदि वह आवंटित भूमि से लगती हुई अतिरिक्त भूमि की मांग करता है तो आवंटित की जाने वाली अतिरिक्त भूमि पर कोई छूट देय नही होगी।

आवंटन नीति–2015 के बिन्दू संख्या 6.4 के अनुसार जिस संस्था को रियायती दर पर भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित हैं, उसको पूर्व में उसी शहर में रियायती दर पर भूमि आवंटन नही होना चाहिए। इस शर्त में छूट राज्य सरकार के स्तर पर की जा सकेगी।

सयुंक्त शासन सचिव –प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ3/ (55) नविवि/ 3/ 2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत राजस्थान के नगरीय निकायो (विकास प्राधिकरणो, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासो, नगर निगमों/परिषदो /मण्डलों) को निर्देशो दिये जाते है कि किसी भी संस्था को चाहे वे सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चेरीटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नही की जावे चाहे व आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।

अतः भूमि नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत राजस्व ग्राम करवड़ के खसरा संख्या 453 में 25 बीघा 05 बिस्वा अतिरिक्त भूमि में किस्म बारानी चतुर्थ में FINTECH DIGITAL UNIVERSITY हेतु अतिरिक्त आवंटन राज्य सरकार को कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में प्रेषित कर दिया गया है। अत प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 24 :: राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, मण्डोर जोधपुर हेतु ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1893 में भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, मण्डोर जोधपुर हेतु ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1893 में भूमि आवंटन के संबंध में।	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, मण्डोर जोधपुर हेतु ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1893 में भूमि आवंटन हेतु

राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, मण्डोर, जोधपुर द्वारा ग्राम मण्डोर खसरा संख्या 1893 में आवंटन हेतु प्रपत्र 'स' में आवेदन प्रस्तुत हुआ, जिसमे 7 बीधा भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु आवेदन किया गया है।

पटवारी रिपोर्ट अनुसार राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, मण्डोर ग्राम मण्डोर के खसरा सं 1893 पार्ट में भूमि आवंटन हेतु 7 बीघा भूमि आवंटन की मांग की हैं। उक्त भूमि का मौका देखा गया। मौके पर कुछ भाग पर कच्ची झोपड़िया बनी हुई है। एवं कुछ भाग पर कच्ची दिवार बनी हुई हैं। उक्त खसरे में राजकीय कन्या महाविद्यालय मंगरा पूजला को पूर्व में भूमि आवंटित हैं। खसरा सं 1893 में

रकबा 143.19 बीघा भूमि किस्म गै.मु. भाकर नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हैं खसरा सं 1893/1/1 रकबा 390.16 बीघा किस्म गै.मु भाकर वन विभाग के नाम दर्ज हैं उक्त भूमि पहाड़ी अथवा पठारी किस्म की हैं।

आयोजना शाखा रिपोर्ट अनुसार पटवारी द्वारा मार्क लोकेशन का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 एवं जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवासीय उपयोग में आरक्षित हैं। मास्टर प्लान–2031 की आवासीय डीसीआर अनुसार 100 मी. अधिक मार्गाधिकार पर कॉलेज अनुज्ञेय है। मास्टर प्लान–2031 की आवासीय डीसीआर में पॉलिटेक्निक कॉलेज का पृथक से उल्लेख नही है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर वाद विवाद लम्बित नही है।

1. अतः ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1893 में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, मण्डोर जोधपुर को 7 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटित किये जाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

2. इस क्रम में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, मण्डोर ग्राम मण्डोर के क्रम में उनके निवेदन पर पूर्व में ग्राम आंगणवा के खसरा सं 74 में आंवटित 4 एकड़ भूमि का आवंटन निरस्त करने हेतु भी प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रकरण में पूर्व में खसरा नं. 74 ग्राम आंगणवा में किये गये आवंटन को निरस्त करते हुए अब प्रस्तावानुसार ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1893 में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, मण्डोर जोधपुर को 10000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 25 :: राजकीय आई.टी.आई. मण्डोर जोधपुर हेतु ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1893 में 10000 व.मी.भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	राजकीय आई.टी.आई. मण्डोर जोधपुर हेतु ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1893 में 10000 व.मी. भूमि आवंटन के संबंध में।	राजकीय आई.टी.आई. मण्डोर जोधपुर हेतु ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1893 में 10000 व.मी. भूमि आवंटन हेतु।

राजकीय आई.टी.आई. मण्डोर जोधपुर, जोधपुर द्वारा ग्राम मण्डोर खसरा संख्या 1893 में आवंटन हेतु प्रपत्र 'स' में आवेदन प्रस्तुत हुआ, जिसमे 10000 व.मी. भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु आवेदन किया गया है।

पटवारी रिपोर्ट अनुसार राजकीय आई.टी.आई. मण्डोर जोधपुर ग्राम मण्डोर के खसरा सं 1893 पार्ट में भूमि आवंटन हेतु भूमि आवंटन की मांग की हैं। उक्त भूमि का मौका देखा गया। मौके पर कुछ भाग पर कच्ची झोपड़िया बनी हुई है। एवं कुछ भाग पर कच्ची दिवार बनी हुई हैं। उक्त खसरे में राजकीय कन्या महाविद्यालय मंगरा पूजला को पूर्व में भूमि आवंटित हैं। खसरा सं 1893 में रकबा 143.19 बीघा भूमि किस्म गै.मु. भाकर नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हैं खसरा सं 1893/1/1 रकबा 390.16 बीघा किस्म गै.मु भाकर वन विभाग के नाम दर्ज हैं उक्त भूमि पहाड़ी अथवा पठारी किस्म की हैं।

आयोजना शाखा रिपोर्ट अनुसार पटवारी द्वारा मार्क लोकेशन का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 एवं जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवासीय उपयोग में आरक्षित हैं। मास्टर प्लान–2031 की आवासीय डीसीआर अनुसार 18 मी अधिक मार्गाधिकार पर ट्रेनिंग सेन्टर एवं Institute अनुज्ञेय है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे वाद विवाद लम्बित नही है।

1. अतः ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1893 में राजकीय आई.टी.आई. मण्डोर जोधपुर को 10000 व.मी. भूमि निःशुल्क आवंटित किये जाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत है।
2. इस क्रम में राजकीय आई.टी.आई. मण्डोर जोधपुर, ग्राम मण्डोर के क्रम में उनके निवेदन पर पूर्व में ग्राम आंगणवा के खसरा सं 74 में आंवटित 10000 व.मी. भूमि का निरस्त करने हेतु भी प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रकरण में राजकीय आई.टी.आई. मण्डोर जोधपुर, ग्राम मण्डोर के क्रम में उनके निवेदन पर पूर्व में ग्राम आंगणवा के खसरा सं 74 में आंवटित 10000 व.मी. भूमि का आवंटन को निरस्त करते हुए अब प्रस्तावानुसार ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1893 में राजकीय आई.टी.आई. मण्डोर जोधपुर को 10000 व.मी. भूमि निःशुल्क आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 26 :: श्री जोधपुर वस्त्र व्यापार संघ हेतु ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 98 में व्यावसायिक योजना प्रस्तावित करने के संबंध मे।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	श्री जोधपुर वस्त्र व्यापार संघ हेतु ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 98 में व्यावसायिक योजना प्रस्तावित करने के संबंध मे।	श्री जोधपुर वस्त्र व्यापार संघ के लिए ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 98 में व्यावसायिक योजना प्रस्तावित की जा रही है।

श्री जोधपुर वस्त्र व्यापार संघ द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से थोक वस्त्र व्यापार हेतु भूमि चाही गई है, जिस हेतु वस्त्र व्यापार हेतु समर्पित ग्राम आंगणवा में खसरा संख्या 98 में नवीन वाणिज्यिक योजना हेतु प्रस्तावित की जा रही है। यह जोधपुर से 15 कि.मी. दूर ग्राम आंगणवा, जिला जोधपुर के नागौर–जयपुर बाईपास के समीप स्थित है। ग्राम आंगणवा के खसरा सं 98 में किस्म गै.मु पहाड़ में मे रकबा 159.13 बीघा मे से 63 बीघा में व्यावसायिक योजना प्रस्तावित की जा रही है। उक्त योजना की आरक्षित दर 40000/– (चालीस हजार) रूपये प्रति वर्गमीटर रखी गई है। आम सूचना का प्रकाशन दिनांक 9.9.2022 को किया गया है।

पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम आंगणवा के खसरा सं 98 में रकबा 159.13 बीघा भूमि किस्म गै.मु. पहाड़ जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर उक्त खसरे में कुछ भाग समतल भूमि है तथा अधिकांश भूमि पहाड़–पठार है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 एवं जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार Hilly and rocky region में आरक्षित है। मास्टर

डवलपमेंट प्लान–2031 के बि.स. 59 अनुसार जोधपुर में स्थित पहाड़िया सरक्षंण हेतु 15 डिग्री से ज्यादा ढलान वाली पहाड़िया के चारो तरफ 50 मी. Hill Conservaction Zone को Plantation belt के रूप में आरक्षित रखना होगा। मास्टर डवलपमेंट प्लान में दर्शित Hilly and rocky में स्थित भूमियो की मौके पर 15 डिग्री से कम ढलान है तो Residentional DCR में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय किए जा सकेंगे। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम आंगणवा के खसरा सं 98 में कोई वाद विवाद लम्बित नही है। भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 7/2022 की बैठक (जोन उत्तर) दिनांक 24.08.2022 के प्रस्ताव संख्या 02 में ले–आउट का अनुमोदन किया गया।

उक्त योजना में भूखण्डो का विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्र.स	भूखण्ड साईज	भूखण्ड
1.	4 M X 9M	676
2.	5 M X 7M	02
3.	6 M X (10 TO 13)M	015
4.	IRREGULAR PLOTS	126
	TOTAL COMMERCIAL PLOTS	819

उक्त योजना में INFORMAL SHOPS निम्नानुसार है :–

क्र.स	भूखण्ड साईज	भूखण्ड
1.	3 M X 3 M	044
2.	2 M X 3 M	065
	IRREGULAR SHOPS	014
	TOTAL INFORMAL SHOPS	123

उक्त योजना व्यावसायिक योजना है जिसमे कॉर्नर भूखण्डो को छोड़कर शेष व्यावसायिक भूखण्डो हेतु लॉटरी किया जाना प्रस्तावित है।

अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण, अधिनियम 2009 के नियम 39 व 40, राजस्थान श्हारी भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 8 (i) & (ii), नियम (9), नियम (10) एवं नियम 15 के अन्तर्गत प्रस्तावित इस योजना में कॉर्नर भूखण्डों को छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक भूखण्ड़ को लॉटरी द्वारा निस्तारित किया जाना है, अतः राज्य सरकार से स्वीकृति हेतु भिजवाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही व्यावसायिक योजना होने के कारण आरक्षित दर से कम कीमत पर भूखण्डों का निष्पादन न करने के बिन्दु पर भी राज्य सरकार से स्वीकृति ली जानी अपेक्षित है।

उक्त योजना श्री जोधपुर वस्त्र व्यापार संघ के निवेदन पर प्रस्तावित की गई है। अतः इसमें इस संघ (श्री जोधपुर वस्त्र व्यापार संघ) से रजिस्टर्ड वस्त्र व्यापारी ही आवेदक होगे। वर्ग विशेष (श्री जोधपर वस्त्र व्यापार संघ) हेतु आरक्षित इस योजना हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति ली जानी प्रस्तावित है। अतः प्रकरण अनुमोदनार्थ एवं निर्णयार्थ जो.वि.प्रा की कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रकरण राज्य सरकार को कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 27 :: राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 33, 51 व 52 रकबा 203.12 बीघा में Farm House Scheme, Eco-Friendly Housing Scheme, Amusement Park & Resort योजना प्रस्तावित करने के संबंध मे।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 33, 51 व 52 रकबा 203.62 बीघा में Farm House Scheme, Eco-Friendly Housing Scheme, Amusement Park & Resort योजना प्रस्तावित करने के संबंध मे।	राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 33, 51 व 52 रकबा 203.62 बीघा में Farm House Scheme, Eco-Friendly Housing Scheme, Amusement Park & Resort योजना प्रस्तावित की जा रही है।

राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 33, 51 व 52 रकबा 203.12 बीघा में Farm House Scheme, Eco-Friendly Housing Scheme, Amusement Park & Resort हेतु भूमि चाही गई है, जिस हेतु Farm House Scheme, Eco-Friendly Housing Scheme, Amusement Park & Resort हेतु समर्पित ग्राम उजलिया में खसरा संख्या 33, 51 व 52 में प्रस्तावित की जा रही है। यह जोधपुर से 25 कि.मी. दूर ग्राम उजिलिया, जिला जोधपुर में स्थित है। राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 33 गै.मु मगरा 51 गै.मु मगरा व 52 गै.मु भाकर में से 203.12 बीघा में Farm House Scheme, Eco-Friendly Housing Scheme, Amusement Park & Resort योजना प्रस्तावित की जा रही है। उक्त योजना की आरक्षित दर 4600/– (चार हजार छः सौ) रूपये प्रति वर्गमीटर रखी गई है। आम सूचना का प्रकाशन दिनांक 15/9/2022 को किया गया है।

पटवारी रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम उजलिया तहसील बावड़ी के खसरा संख्या 33 गै.मु मगरा रकबा 18.4290 हैक्टेयर 51 गै.मु मगरा रकबा 72.8909 हैक्टेयर व 52 गै.मु भाकर रकबा 53.5315 हैक्टेयर जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। खसरा संख्या 33 व 51 में कच्चे मकान, झुपड़े थान व पानी की टंकिया बनी हुई है। वर्तमान में योजना उक्त क्षेत्र को छोड़ते हुए तैयार की गई है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार Marked location का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम उजलिया के खसरा सं 51, 52 व 33 में कोई वाद विवाद लम्बित नही है।

उक्त योजना में भूखण्डो का विवरण निम्नानुसार हैंः–

1.	RESORT SINGLE PLOT	01
2.	AMUSEMENT PARK SINGLE PLOT	01
3.	ECO FRIENDLY HOUSING PLOTS	34
4.	FARM HOUSE PLOTS	61
	TOTAL PLOTS	97

जोधपुर विकास प्राधिकरण, अधिनियम 2009 के नियम 39 व 40, राजस्थान भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 8 (i) & (ii), नियम (9), नियम (10) एवं नियम 15 के अन्तर्गत यह योजना प्रस्तावित की गई है। उक्त योजना मिश्रित प्रकार की योजना है जिसमे कॉर्नर भूखण्डो को छोड़कर शेष भूखण्डो हेतु लॉटरी किया जाना प्रस्तावित है। अतः राज्य सरकार से स्वीकृति हेतु भिजवाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही इस योजना के भूखण्ड 1000 व.मी. से बडे होने के कारण एवं योजना विलासित पूर्ण (luxury) होने के कारण नियम 17 (4) के तहत आरक्षित दर से कम कीमत पर भूखण्डों का निष्पादन न करने बिन्दु पर भी राज्य सरकार से स्वीकृति ली जानी अपेक्षित है।

Farm House Scheme, Eco-Friendly Housing Scheme, Amusement Park & Resort हेतु आरक्षित इस योजना हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति ली जानी प्रस्तावित है। अतः प्रकरण अनुमोदनार्थ एवं निर्णयार्थ जो.वि.प्रा की कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रकरण राज्य सरकार को कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 28 :: विवेक विहार योजना के अवार्ड संख्या 658 ग्राम सांगरिया की डुप्लीकेट पत्रावली संधारित करने के संबंध में।

अवार्ड सं. 658 खसरा नं. 333/2 ग्राम सांगरिया रकबा 133.33 वर्गगज अवार्डी श्री श्रवणराम पुत्र श्री मूलाराम चौधरी के नाम दर्ज है। अवार्डी श्री श्रवणराम पुत्र श्री मूलाराम चौधरी को उक्त अवाप्तसुदा भूमि के बदले मुआवजे के रूप में लॉटरी द्वारा दिनांक 26.03.2012 को एक विकसित आवासीय भूखण्ड संख्या 962 सेक्टर एच बमाप 20 गुणा 50 क्षेत्रफल 111.11 व.ग. का आवंटित किया गया। अवार्डी द्वारा उक्त आवंटित भूखण्ड के संबंध में देय 75 प्रतिशत कीमत राशि 4,52,888/– जरिये रसीद संख्या 9001/48984 के दिनांक 18.05.2012 को प्राधिकरण कार्यालय में जमा करवा कर प्रार्थी/अवार्डी को उक्त भूखण्ड का जरिये पत्र क्रमांक 06 दिनांक 18.05.2012 को आवंटन पत्र जारी किया जा चुका है। अवार्डी की पत्रावली गुम होने के कारण उक्त प्रकरण में डुप्लीकेट पत्रावली खोलने हेतु निम्न कार्यवाही निष्पादित की जा चुकी हैः–

– संबंधित शाखाओं में सर्च नोटः– क्रमांक 653 दिनांक 11.11.2021 को जारी किया जा चुका है।

– गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्जः– एफ.आई.आर/एल आर संख्या 1237432/2021 दिनांक 25.10.2021 को पुलिस कार्यालय में दर्ज करवाई जा चुकी है।

अतः अवार्डी को लीजडीड जारी करने से पूर्व डुप्लीकेट पत्रावली खोलने के निर्णय बाबत् प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष निर्णयार्थ सादर पेश है।

निर्णय

बैठक ने बाद विचार विमर्श के दौरान बैठक में उपस्थित श्री संदीप वर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ने अपना अभिमत प्रकट किया कि इस प्रकार के प्रकरणों की कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने की उपादेयता पर विचार करना

चाहिए इससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने में अनावश्यक रूप से बैठक का इंतजार करना पडता है तथा कार्यकारी समिति को ऐसे प्रकरणों को निस्तारण करने की शक्तियों के बारे में भी स्पष्टता नहीं है। अतः ऐसे प्रकरण आयुक्त, प्राधिकरण स्तर पर ही निस्तारित हो जाने चाहिए। इस पर बैठक में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से प्रकरण में डुप्लीकेट पत्रावली खोले जाने का निर्णय लेते हुए भविष्य में ऐसे प्रकरणों का निस्तारण आयुक्त, प्राधिकरण स्तर पर ही निस्तारित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 29 :: भूखण्ड़ संख्या 120, सेक्टर एल, विवेक विहार योजना के संबध में।

क्रं.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध
01.	आवंटि को भूखण्ड इसी योजना मे दिये जाने की अनुशंक्षा की जाती है।	उक्त भूखण्ड का पट्टा आवाप्त शाखा द्वारा जारी होने के कारण आंवटी श्री खेताराम द्वारा इसी योजना में इसी नाप का भूखण्ड आवंटन करने की सहमती पेश की अतः भूखण्ड दिया जाना उचित है।

प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में भूखण्ड संख्या 120 सेक्टर एल नाप 139.34 वर्ग मीटर भूखण्ड श्री खेताराम चौधरी पुत्र श्री बुलाराम चौधरी को लॉटरी दिनांक 09.09.2011 को आवंटित हुआ। कार्यालय द्वारा आवंटन पत्र दिनांक 17.09.2014 को जारी किया आवंटी द्वारा भूखण्ड की राशि दिनांक 15.10.2014 को जमा करवाई गई। पट्टा जारी करने पर पाया की उक्त भूखण्ड दोहरे आवंटन की सूची में अंकित है। भूखण्ड संख्या 120 सेक्टर एल का पट्टा अवार्ड शाखा द्वारा श्रीमती कमला शर्मा पत्नि श्री सोहनलाल को अवार्ड संख्या 373 ग्राम जोधपुर को दिनांक 18.04.2013 को जारी है। उक्त भूखण्ड का पट्टा आवाप्त शाखा द्वारा जारी होने के कारण आंवटी श्री खेताराम द्वारा इसी योजना में इसी नाप का भूखण्ड आवंटन करने की सहमती पेश की एन.आई.सी शाखा द्वारा रिक्त भूखण्डों की सूची अनुसार भूखण्ड संख्या 592 व 593 एवं 612 सेक्टर एल जिनका नाप 139.34 वर्ग.मी है। जिसमें सड़क का नाप 30 फिट का है उक्त भूखण्डों मे से एक भूखण्ड आंवटन किया जाना है। पत्रावली कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस प्रवृति के समान समस्त प्रकरणों को एकसाथ आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत कर एक साथ ही निस्तारित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 30 :: प्राधिकरण क्षेत्र में जोन पुर्नगठन के सम्बन्ध में।।

क्रं.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	यह घोषणा की जाती हैं कि प्राधिकरण क्षेत्र के वर्तमान में चार जोन क्रमशः पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंव दक्षिण में विभक्त हैं, जिनका पुर्नगठन कर 6 जोन क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 एंव 6 में करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण बैठक में रखने हेतु एजेण्डा नोट।	एजेण्डा प्राधिकरण बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती हैं।

प्राधिकरण कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.21/स्थापना/2022/2153–2161 दिनांक 20.06. 2022 द्वारा समिति का गठन किया जाकर वर्तमान में गठित जोन पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंव दक्षिण को पुर्नगठित कर 6 जोन में क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 एंव 6 में विभक्त करने के निर्देश प्रदत्त किये गये, उक्त

निर्देशो की पालना में समिति द्वारा निम्नानुसार जोन पुर्नगठन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं जो निम्नानुसार हैं :–

प्राधिकरण में वर्तमान में गठित अवस्थित 4 जोनो में स्थित ग्रामो का विवरण :–

जोन	पूर्व	दक्षिण	उत्तर	पश्चिम	कुल
ग्राम संख्या	76	81	102	136	395

समिति द्वारा चार जोन को 6 जोन में पुर्नगठन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैं, जो निम्नानुसार हैं :–

प्रस्तावित जोन	गांव संख्या	नवीन जोन की सीमाऐं	वर्तमान जोन	गांव संख्या	कुल संख्या
जोन 01	57	जोधपुर–सरदारसमन रोड व जोधपुर–जयपुर रेलवे लाईन के मध्य का क्षेत्र	पूर्व	57	
जोन 02	36	जोधपुर–सरदारसमन रोड व जोधपुर–पाली रेलवे लाईन के मध्य का क्षेत्र	पूर्व	19	76
			दक्षिण	17	
जोन 03	64	जोधपुर–पाली रेलवे लाईन से जोधपुर–बाडमेर रोड के मध्य का क्षेत्र	दक्षिण	64	81
जोन 04	79	जोधपुर–जैसलमेर रोड व जोधपुर–बाडमेर रोड के मध्य का क्षेत्र	पश्चिम	79	136
जोन 05	76	जोधपुर–जैसलमेर रेलवे लाईन व जोधपुर–जैसलमेर रोड के मध्य का क्षेत्र	पश्चिम	57	
			उत्तर	19	102
जोन 06	83	जोधपुर–जयपुर रेलवे लाईन व जोधपुर–जैसलमेर रेलवे लाईन का मध्य का क्षेत्र	उत्तर	83	

समिति द्वारा प्रस्तावित जोन संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एंव 6 में स्थित ग्रामो की सूची एंव मानचित्र सलंग्न प्रस्तुत हैं।

प्राधिकरण में वर्तमान में 4 जोन हैं, जिसका 6 जोन में पुर्नगठन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव कार्यकारी समिति की बैठक में उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रकरण राज्य सरकार को कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 31 :: चतुर्थ श्रैणी कर्मचारियों एंव गैंगमेन कार्मिकों की कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों पर पदौन्नति में शिथिलता प्रदान करवाने बाबत

क्रं. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
01.	यह घोषणा की जाती हैं कि प्राधिकरण में कार्यरत	एजेण्डा प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की

	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं गैंगमैन को रिक्त कनिष्ठ सहायक के पदो पर पदोन्नति हेतु नियमों में शिथिलता के संबंध में राज्य सरकार से मार्ग दर्शन लिया जाना है।	बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती हैं।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्राधिकरण में कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों द्वारा कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों पर पदौन्नति हेतु निवेदन किया गया हैं :-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि	शैक्षणिक योग्यता		विशेष विवरण
01.	श्री जगदीश सांखला	गैंगमेन	01.12.1998	सिनीयर सैकेण्डरी,	RS-CIT कोर्स नहीं	राष्ट्रीय मुक्त विधालयी शिक्षा संस्थान वर्ष 2022
02.	श्री हुकमाराम	गैंगमेन	26.04.2006	सिनीयर सैकेण्डरी,	RS-CIT कोर्स नहीं	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर 2007
03.	श्री अशोक कुमार	गैंगमेन	17.10.2003	सिनीयर सैकेण्डरी,	RS-CIT कोर्स किया हुआ हैं।	राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर 2020
04.	श्री पप्पू प्रजापत	गैंगमेन	08.10.2004	सिनीयर सैकेण्डरी,	RS-CIT कोर्स किया हुआ हैं।	राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर 2017
05.	श्री संजय सांदड	च0श्रै0कर्म	16.07.2014	सिनीयर सैकेण्डरी,	RS-CIT कोर्स नहीं	राष्ट्रीय मुक्त विधालयी शिक्षा संस्थान वर्ष 2021
06.	श्री शरीफ खां	च0श्रै0कर्म	21.07.2014	सिनीयर सैकेण्डरी,	RS-CIT कोर्स नहीं	राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर 2021
07.	श्री शेलेन्द्र सिंह	च0श्रै0कर्म	04.06.2012	सिनीयर सैकेण्डरी,	RS-CIT कोर्स किया हुआ हैं।	राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर 2019

जोधपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एंव सामान्य शर्तें) विनियम, 2014 के भाग-V " पदौन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए प्रक्रिया " के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 22 पदौन्नति के लिए सिद्धान्त, पात्रता एंव प्रक्रिया इत्यादि तथा बिन्दु संख्या-23 एंव 24 में पदौन्नति की पूर्ण प्रक्रिया एवं नियमों का अंकन हैं।

राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 10, 2014

अनुसूचि संख्या-VIII, सामान्य सेवाए

क्रं. सं.	पदनाम	भर्ती का तरीका	सीधी भर्ती के लिए	पदौन्नति द्वारा	पदौन्नति के लिए सिद्धांत	पदौन्नति के लिए धारित किये जाने वाला निम्न अपेक्षित पद	अभियुक्तिया
01.	लिपिक वर्गीय संवर्ग कनिष्ठ सहायक लेवल-5	85 प्रतिशत सीधी भर्ती एंव 15 प्रतिशत पदौन्नति द्वारा	मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था द्वारा सैकेण्डरी या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता एवं 5 वर्ष का अनुभव अथवा उक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ 5 वर्ष का अनुभव नहीं होने पर टंकण गति अंग्रेजी में 25 प्रति मिनट की दर से तथा हिन्दी में 20 शब्द प्रति मिनट की दर से	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था द्वारा सैकेण्डरी या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता एंव 5 वर्ष का अनुभव अथवा उक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ 5 वर्ष का अनुभव नहीं होने पर टंकण गति कॉलम 4 के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बेलदार/चौकीदार हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था द्वारा सैकेण्डरी या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता तथा 5 वर्ष या 5 वर्ष से कम अनुभव होने पर टंकण गति कॉलम 4 के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करने पर	वरिष्ठता एंव योग्यता	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/बेलदार/चौकीदार	सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा की जायेगी ।

कृ.प.उ.

पूर्व में प्राधिकरण के 6 गैंगमेनों की पदोन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा नियमों में शिथिलता प्रदान कर इनकी कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी, इसी के तर्ज पर उपरोक्त गैंगमेनो को प्राधिकरण में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर पदौन्नति के सम्बन्ध में नियमों में शिथिलता प्रदान करवाने बाबत् राज्य सरकार से निवेदन किया जाना हैं।

प्राधिकरण में कार्यरत चतुर्थ श्रैणी कर्मचारीयो की कनिष्ठ सहायक के पद पर पदौन्नति का चैनल निर्धारण हैं, जिसके अन्तर्गत RS-CIT कोर्स उत्तीर्ण होना आवश्यक हैं, तथा साथ ही टंकण परीक्षा उत्तीर्ण का प्रावधान हैं, वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में कनिष्ठ सहायक के अत्यधिक पद रिक्त हैं, इन रिक्त पदों पर चतुर्थ श्रैणी कार्मिको की कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदो पर पदौन्नति हेतु RS-CIT कोर्स उत्तीर्ण तथा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण में छूट के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन प्रदान करवाने का श्रम करावें। उक्तानुसार प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में एजेण्डा नोट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान बैठक में उपस्थित श्री संदीप वर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ने अपना अभिमत प्रकट किया कि इस प्रकरण में जो कार्मिक निर्धारित अर्हता/योग्यता रखता है उसको पदोन्नति प्रदान कर दी जावे तथा शेष कार्मिकों के लिए प्रस्तावानुसार प्रकरण राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया जावे। इस पर बैठक में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से प्रकरण में योग्य कार्मिक की डी.पी.सी. किये जाने तथा शेष का प्रकरण प्रस्तावानुसार राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 32 :: सेवानिवृत कार्मिक श्री कमलेश छंगाणी, पम्प ऑपरेटर की सेवा अवधि दिनांक 30.11.2022 (65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक) अभिवृद्धि बाबत्।

प्राधिकरण कार्यालय आदेश क्रमांक 4572 दिनांक 01.10.2021 के द्वारा, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ–17 (10) डीओपी/ए–II/94 दिनांक 08.02.2018 के

अनुक्रम में प्राधिकरण में पम्प ऑपरेटर के रिक्त पद के विरूद्ध श्री कमलेश छंगाणी, सेवानिवृत पम्प ऑपरेटर, की सेवाए प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक के आधार पर ली गई थी।

क्रं.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	यह घोषणा की जाती है कि प्राधिकरण कार्मिको के अधिवार्षिकी आयु पुर्ण कर सेवानिवृत होने से रिक्त पदो के विरूद्ध सेवानिवृत कार्मिको को समेकित पारिश्रमिक पर लगाये जाने कि सविकृति हेतु प्रस्तुत है।	एजेण्डा कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती हैं।

कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र अनुसार 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत कार्मिको को प्रशासनिक विभाग के पूर्व अनुमोदन से एक वर्ष या रिक्त पद भरने की अवधि तक जो भी पहले हो, के लिए निर्धारित पारिश्रमिक पर रखा जा सकेगा। कि पालना मे कार्यालय आदेश क्रमांक 4572 दिनांक 01.10.2021 के द्वारा श्री कमलेश छंगाणी सेवानिवृत पम्प ऑपरेटर को निर्धारित पारिश्रमिक रूपये 12000/– प्रतिमाह पर रखा गया था जिनकी एक वर्ष की सेवा अवधि दिनांक 25.08.2022 को पूर्ण हो चुकी है

इनकी सेवाओ की अवाश्यकता के मध्यनजर इनकी सेवा अभिवृद्धि इनकी 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अर्थात दिनांक 30.11.2022 तक सेवा अभिवर्दी करने बाबत् प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निणयार्थ प्रस्तुत हैं।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक ने बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कार्मिक की सेवा अवधि दिनांक 30 नवम्बर, 2022 तक बढाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 33 :: श्री संजय माथुर, कनिष्ठ सहायक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आशुलिपिक के पद पर पदोन्नति करने के संबंध में नियमों में शिथिलता के क्रम में राज्य सरकार से मार्गदर्शन हेतु निवेदन बाबत।

क्रं.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
01.	यह घोषणा की जाती हैं कि प्राधिकरण में कार्यरत श्री संजय माथुर, कनिष्ठ सहायक को आशुलिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु नियमों में शिथिलता के संबंध में राज्य सरकार से मार्ग दर्शन लिया जाना है।	एजेण्डा प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती हैं।

श्री संजय माथुर, कनिष्ठ सहायक, जोधुपर विकास प्राधिरकण, जोधुपर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जोधपुर विकास प्राधिरकण, जोधुपर में आशुलिपिक के रिक्त पद पर पदोन्नति करने के संबंध में प्राधिकरण नियमों में शिथिलता प्रदान करवाने बाबत राज्य सरकार से मार्ग दर्शन प्राप्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

जोधुपर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम, 2014 के अनुसूची संख्या VIII सामान्य सेवाए खण्ड (ख) अनुसार स्टेनोग्राफर के पद पर भर्ती 100% सीधी भर्ती से भरने का प्रावधान है, जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर में स्टेनोग्राफर के 6 पद स्वीकृत है, जो सभी वर्तमान में रिक्त है। कनिष्ठ सहायक के पद से स्टेनोग्राफर के पद पर पदोन्नति का नियमो मे प्रावधान नही है, इसी के परिपेक्ष्य मे नियमों में शिथिलता हेतु राज्य सरकार मार्ग दर्शन लिया जाना है।

उक्तानुसार प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में एजेण्डा नोट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 34 :: फर्स्ट इंडिया (अंग्रेजी) समाचार पत्र में प्रकाशन की दर लागू करने बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बंध में	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बंध में

	घोषणा	अभिशंषा / प्रस्ताव
	फर्स्ट इंडिया (अंग्रेजी) समाचार पत्र की जोधपुर विकास प्राधिकरण के लिये दर निर्धारण बाबत प्रस्तावना	फर्स्ट इंडिया (अंग्रेजी) समाचार पत्र की जोधपुर विकास प्राधिकरण के लिये दर निर्धारण बाबत प्रस्तावना

फर्स्ट इंडिया (अंग्रजी) समाचार पत्र का प्रकाशन जयपुर से होता है। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ–2 (69) जविप्रा / जन सम्पर्क / 2021 / डी–64 दिनांक 3.6.2021 द्वारा जयपुर प्राधिकरण के लिये निम्नानुसार दर स्वीकृत की गई।

जयपुर संस्करण – 345 / = प्रति वर्ग सै.मी.

राजस्थान संस्करण – 719 / = प्रति वर्ग सै.मी.

चूंकि फर्स्ट इंडिया (अंग्रेजी) समाचार पत्र का प्रकाशन जोधपुर से नही होने से जोधपुर के लिये अलग से दर स्वीकृत नही की जा सकती।

अतः जब भी फर्स्ट इंडिया (अंग्रेजी) समाचार पत्र में जोधपुर विकास प्राधिकरण स्तर से प्रकाशन करवाये जाने की स्थिति में जयपुर विकास प्राधिकरण की स्वीकृत दर को जोधपुर विकास प्राधिकरण के लिये लागू करने की स्वीकृति बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में संपूर्ण तथ्य अंकित कर प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 35 :: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में पैरवी हेतु पैनल अधिवक्ता के नियुक्ति का कार्योतर स्वीकृति प्रस्ताव बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पैरवी हेतु श्री रजत दवे पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति, कार्यालय आदेश कमांक F–42 / विधि / जेडीए / 2022 / 4235 दिनांक 25.08.2022 द्वारा कार्यकारी समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में की गई थी।

पैनल अधिवक्ता का विवरण निम्नानुसार है :–

नाम : श्री रजत दवे
पता : 24, नरपत निवास, एयरफोर्स रोड, जोधपुर
पंजीयन संख्या : आर / 679 / 2003
मो.नं. : 9636003234, 9414131496

खर्चे एवं नियुक्ति की शर्ते :–

<u>पैनल अधिवक्ता को निम्नानुसार फीस एवं खर्चे देय होंगे</u> :–

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर – प्रति प्रकरण 7,000 / –मात्र
2. अन्य खर्चे :– राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा निर्धारित

शर्ते :–

1. उक्त नियुक्त अधिवक्ता को प्राधिकरण को यह लिखित में अण्डरटेंकिग देना होगा कि उनके द्वारा प्राधिकरण के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण पैरवी हेतु नहीं लिया जावेगा।
2. प्राधिकरण के संबंधित किसी भी मुकदमें का निर्णय होने पर सम्बन्धित अधिवक्ता का उस मुकदमें की पत्रावली व प्राधिकरण की पत्रावली मय निर्णय पर अग्रिम कार्यवाही सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट भेजने के

पश्चात ही उसको मेहनताना का अन्तिम भुगतान किया जाएगा। यह कार्यवाही प्रभारी अधिकारी विधि शाखा/विधि अधिकारी सुनिश्चित करेगें।

3. नियुक्त अधिवक्ता प्रकरण की तारीख पेशियों से पूर्व प्रभारी अधिकारी को अवगत करायेगें। जवाब दावा तैयार करने में प्रभारी अधिकारी की ओर से देरी होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायेगें।
4. निर्णय होने के 7 दिवस में निर्णय की प्रति मय राय से अवगत करायेगें। यदि न्यायालय द्वारा प्रमाणित प्रति उक्त अवधि में नहीं दी जाती हैं तो मौखिक रूप से प्रभारी अधिकारी को सूचित करेंगें।
5. प्राधिकरण संबंधित पूर्व में जो प्रकरण विभिन्न न्यायालय में निर्णित हो गये हैं उनके अधिवक्ता से भी आग्रह है कि कृपया उन मुकदमों की पत्रावलियों एवं प्राधिकरण की संबंधित पत्रावलियां जो भी आपके पास हो उन्हे आगामी एक माह में प्रभारी अधिकारी/विधि शाखा/विधि अधिकारी को सम्भालने का कष्ट करावें।
6. नियुक्त अधिवक्ता उन्हें आंवटित प्रकरणों की मासिक प्रगति से निर्धारित प्रारूप में निदेशक (विधि) को अवगत करायेगें।
7. पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति की शर्तों एवं भुगतान के संबंध में जहां प्राधिकरण द्वारा कोई प्रावधान नहीं किये गये हैं। वहां विधि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों/आदेश लागू होगें।

उक्तानुसार श्री रजत दवे, अधिवक्ता को राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्राधिकरण की ओर से पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्ति की स्वीकृति का कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 36 :: Interior, Furnishing, Acoustics, Audio-Visual and Internal Electrical Works at International Auditorium and Cultural Centre at Jodhpur City on EPC mode. की प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति बाबत्।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	Interior, Furnishing, Acoustics, Audio-Visual and Internal Electrical Works at International Auditorium and Cultural Centre at Jodhpur City on EPC mode. की प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति बाबत्	कार्य की आवश्यकता को देखते हुए राशि रूपये 36.30 करोड़ की प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंषा कि जाती है।

Interior, Furnishing, Acoustics, Audio-Visual and Internal Electrical Works at International Auditorium and Cultural Centre at Jodhpur City on EPC mode कार्य हेतु राशि रू 36.30 करोड़ की प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति कि आवश्यकता है। वितीय वर्ष 2022–23 में उक्त कार्य हेतु बजट मद 5003–07–000 में राशि रू 5425.00 लाख का बजट प्रावधान है।

प्राधिकरण मे प्रचलित शेडयूल ऑफ पावर I (**Works**) के आईटम सं. 1 के अनुसार 5.00 करोड़ से अधिक कार्य कि प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति कार्यकारी समिति की सक्षमता मे निहित होने के

फलस्वरूप उक्त कार्य हेतु राशि रू 36.30 करोड़ की प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

अतः उक्त प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 37 :: डी.पी.एस चौराहे से बोरानाड़ा टोल रोड़ तक सड़क नवीनीकरण का कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

क्र.स..	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा**	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव**
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छिपाया नहीं गया है।	डी.पी.एस चौराहे से बोरानाड़ा टोल रोड़ तक सड़क नवीनीकरण का कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की अनुशंषा की जाती हैं।

इस कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रूपये 515.92 लाख है। SOP के बिन्दु संख्या 17 अनुसार 500.00 लाख रूपये तक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु आयुक्त महोदय सक्षम है। रू. 500.00 लाख से अधिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति सक्षम है।

अतः आयुक्त महोदय की स्वीकृति के पश्चात् रूपये 515.92 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के सक्षम निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रकरण में प्रस्तावानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 38 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर हेतु विभिन्न नवीन पदो के सृजन हेतु प्रस्ताव।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का कार्य क्षेत्र चार जोन में यथा पूर्व, पश्चिम, उतर एवं दक्षिण जोन में विभक्त है। वर्तमान मे प्राधिकरण का वृहद कार्य क्षेत्र होने के परिणामस्वरूप आमजन के कार्य समयबद्ध सम्पादन में कठिनाई महसूस हो रही है।

अतः आमजन के कार्यो तथा विकास कार्यो का समयबद्ध निस्तारण हेतु प्राधिकरण के जोन का पुर्नगठन कर वर्तमान चार जोन को छः जोन में किये जाने की प्रक्रिया की जा रही है, जिसका प्रस्ताव तैयार कर प्राधिकरण कार्यकारी समिति में रखा गया है।

प्राधिकरण के चार जोन :– पूर्व, पश्चिम, उतर एवं दक्षिण जोन को छः जोन :– 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 जोन में पुर्नगठन के उपरान्त कार्यालय सेटअप अनुसार निम्नलिखित नविन पदो का सृजन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाना है :–

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
01.	यह घोषणा की जाती हैं कि प्राधिकरण में चार जोन से छः जोन में पुर्नगठन उपरान्त कार्यालय सेटअप हेतु नविन पदो के सृजन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाना है।	एजेण्डा प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती हैं।

नवीन पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव

क्र. सं.	पद का नाम	वर्तमान मे स्वीकृत पद	वर्तमान में पदस्थापित	विचार विर्मश पश्चात् प्रस्तावित कुल पद	विशेष विवरण	कार्य विवेचना
1.	अतिरिक्त आयुक्त, RAS	0	0	2	प्रतिनियुक्ति पर	प्राधिकरण के वृहद कार्य क्षेत्र को 6 जोन में विभक्त कर आमजन के कार्यों को त्वरित गति से समयबद्व निस्तारण तथा जोधपुर में विकास कार्यों के समय पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु इन नवीन पदो के सृजन की नितान्त आवश्यकता हैं ।
2.	तहसीलदार, RTS	4	3	6	प्रतिनियुक्ति पर	
3.	कनिष्ठ विधि सहायक	2	2	6	प्रतिनियुक्ति पर	
4.	प्रवर्तन अधिकारी / पुलिस निरिक्षक / सहायक उप–निरिक्षक	0	2	4	न्यास सेवा / पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति पर	प्राधिकरण कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण को रोकने तथा हो रहे अतिक्रमणों को चरणबद्व तरिके से हटाने हेतु इन नवीन पदो के सृजन की आवश्यकता हैं, साथ ही निर्माणाधीन भवन / मकान / दुकान के नक्शा अनुसार सैट बेक छोडने इत्यादि का निरन्तर जॉच हेतु आवश्यकता हैं ।
5.	हेड कांस्टेबल	0	0	6	प्रतिनियुक्ति पर	
6.	कांस्टेबल	6	6	30	प्रतिनियुक्ति पर	
7.	सूचना सहायक	1	5	12	न्यास सेवा / पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति पर	प्रत्येक जोन तथा निदेशक (आयोजना / अभियांत्रिकी / विधि / वित्त) प्रत्येक हेतु एक–एक सूचना सहायक की नितान्त आवश्यकता हैं, चूंकि प्राधिकरण के लगभग समस्त कार्य ऑन लाईन हो चुके हैं अतः आम जन के कार्य समय पर निस्तारण हेतु नवीन पद आवश्यक हैं ।
8.	अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सिविल)	0	0	2	न्यास सेवा / पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति पर	320.00 करोड़ बजट घोषणा एवं मेजर प्रोजेक्ट नियमित कार्य–सड़क, सीवर, आवासीय योजनाओं में विकास कार्य तथा जोधपुर शहर की बसावट का निरन्तर विस्तार होने के क्रम में नवीन योजनाये प्रसारित एवं इन योजनाओं में विकास कार्य के साथ–साथ जोधपुर शहर का विकास इत्यादि एवं मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा अनुसार विकास कार्यो का गुणवतापूर्ण समयबद्ध पूर्ण करवाने हेतु इन नवीन पदों की शीध्र स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाना आवश्यक हैं । जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के वृहद क्षेत्राधिकार में ड्रेनेज एवं सीवरेज की सुव्यवस्थित निर्माण
9.	अधिक्षण अभियंता (सिविल)	2	2	3	न्यास सेवा / पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति पर	
10.	अधिशाषी अभियंता (सिविल)	12	7	13	न्यास सेवा / पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति पर	
11.	सहायक अभियंता (सिविल)	24	16	28	न्यास सेवा / पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति पर	

12.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	48	15	56	न्यास सेवा /पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति पर	कार्य एवं प्राधिकरण में पी.एच.ई जोन पृथक से गठन किये जाने हेतु नवीन पदो की स्वीकृति आवश्यक है।
13.	अधिशाषी अभियंता (पी.एच.ई)	0	0	1	पी.एच.ई. डी/आर.यू. आई.डी.पी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर	
14.	अधिशाषी अभियंता (विद्युत)	2	2	3	न्यास सेवा	
15.	सहायक अभियंता (विद्युत)	4	2	6	न्यास सेवा	
16.	कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)	10	4	14	न्यास सेवा	
17.	सहायक अभियंता (तकनीकी सहायक)	0	0	3	न्यास सेवा/ प्रतिनियुक्ति पर	
18.	सहायक वन संरक्षक	0	0	1	प्रतिनियुक्ति पर	मण्डोर उद्यान का स्वामित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर से जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को हस्तानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त मानसागर, अशोक उद्यान, गणेश मंदिर के उद्यान के लिए बागवानी हेतु प्राधिरकण के पास अतिरिक्त कोई स्टाफ नही है जिससे इन उद्यानों के रख–रखाव के लिए काफी समस्या का सामना करना पड रहा है, अतः उक्त सभी उद्यानों एवं उद्यानिकी कार्यो एवं इसके रख–रखाव के दायित्व को सुचारू रूप से निर्वहन के लिए वांचित पदों का सृजन करवाया जाना आवश्यक है।
19.	रेजंर	0	0	1	प्रतिनियुक्ति पर	
20.	उद्यानविज्ञ	0	0	1	प्रतिनियुक्ति पर	
21.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	3	3	10	न्यास सेवा	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का कार्य क्षेत्र चार जोन में यथा पूर्व, पश्चिम, उतर एवं दक्षिण जोन में विभक्त है। वर्तमान मे प्राधिकरण का वृहद कार्य क्षेत्र होने के परिणामस्वरूप आमजन के कार्य समयबद्ध सम्पादन में कठिनाई महसूस हो रही है। अतः आमजन के कार्यो तथा विकास कार्यो का समयबद्ध निस्तारण हेतु प्राधिकरण के जोन का पुर्नगठन कर वर्तमान चार जोन को छः जोन में किये जाने की प्रक्रिया की जा रही है, जिसका प्रस्ताव तैयार कर प्राधिकरण कार्यकारी समिति में रखा गया है, परिणामस्वरूप मंत्रायलिक संवर्ग में इन पदो की नवीन पदो की स्वीकृति नितांत आवश्यक है।
22.	वरिष्ठ सहायक	15	14	37	न्यास सेवा	
23.	कनिष्ठ सहायक	50	16	90	न्यास सेवा	
24.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	15	10	25	न्यास सेवा	

प्राधिकरण के सुचारू कार्य हेतु उपरोक्त अनुसार पद स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है जिनकी वितीय भार की गणना करवाई जाकर राज्य सरकार पद स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भिवजाए जाने हेतु एजेण्डा नोट वास्ते स्वीकृति/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श के दौरान उप सचिव एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा) ने अवगत कराया कि प्रस्ताव में नवीन पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत तालिका में टंकण त्रुटियां है। जिसे दुरूस्त कर दिया है। अतः उक्त तालिका को निम्नानुसार पढा व माना जावेः–

क्र.सं.	पद का नाम	वर्तमान मे स्वीकृत पद	वर्तमान में पदस्थापित	विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तावित कुल पद	विशेष विवरण	कार्य विवेचना
1.	अतिरिक्त आयुक्त, RAS	0	0	2	प्रतिनियुक्ति पर	प्राधिकरण के वृहद कार्य क्षेत्र को 6 जोन में विभक्त कर आमजन के कार्यों को त्वरित गति से समयबद्व निस्तारण तथा जोधपुर में विकास कार्यों के समय पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु इन नवीन पदो के सृजन की नितान्त आवश्यकता हैं ।
2.	तहसीलदार, RTS	4	3	6	प्रतिनियुक्ति पर	
3.	कनिष्ठ विधि सहायक	2	2	6	प्रतिनियुक्ति पर	
4.	प्रवर्तन अधिकारी/पुलिस निरिक्षक/उप–निरिक्षक या इसके समकक्ष	0	2	4	न्यास सेवा/पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति पर	प्राधिकरण कार्यक्षेत्र में अतिकमण को रोकने तथा हो रहे अतिकमणों को चरणबद्व तरिके से हटाने हेतु इन नवीन पदो के सृजन की आवश्यकता हैं, साथ ही निर्माणाधीन भवन/मकान/दुकान के नक्शा अनुसार सैट बेक छोडने इत्यादि का निरन्तर जॉच हेतु आवश्यकता हैं ।
5.	हेड कांस्टेबल	0	0	6	पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति पर	
6.	कांस्टेबल	6	6	30	पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति पर	
7.	सूचना सहायक	1	5	12	प्रतिनियुक्ति पर	प्रत्येक जोन तथा निदेशक (आयोजना/ अभियांत्रिकी/ विधि/ वित्त) प्रत्येक हेतु एक–एक सूचना सहायक की नितान्त आवश्यकता हैं, चूंकि प्राधिकरण के लगभग समस्त कार्य ऑन लाईन हो चुके हैं अतः आम जन के कार्य समय पर निस्तारण हेतु नवीन पद आवश्यक हैं ।
8.	अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सिविल)	0	0	2	न्यास सेवा	320.00 करोड़ बजट घोषणा एवं मेजर प्रोजेक्ट नियमित कार्य–सड़क, सीवर, आवासीय योजनाओं में विकास कार्य तथा जोधपुर शहर की बसावट का निरन्तर विस्तार होने के क्रम में नवीन योजनाये प्रसारित एवं इन योजनाओं में विकास कार्य के साथ–साथ जोधपुर शहर का विकास इत्यादि एवं मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा अनुसार विकास कार्यो का गुणवतापूर्ण समयबद्ध पूर्ण करवाने हेतु इन नवीन पदों की शीघ्र स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाना आवश्यक हैं। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के वृहद क्षेत्राधिकार में ड्रेनेज एवं सीवरेज की सुव्यवस्थित निर्माण कार्य एवं प्राधिकरण में पी.एच.ई जोन पृथक से गठन किये जाने हेतु नवीन पदो की स्वीकृति आवश्यक है।
9.	अधिक्षण अभियंता (सिविल)	2	2	3	न्यास सेवा	
10.	अधिशाषी अभियंता (सिविल)	12	7	13	न्यास सेवा	
11.	सहायक अभियंता (सिविल)	24	16	28	न्यास सेवा	
12.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	48	15	56	न्यास सेवा	
13.	अधिशाषी अभियंता (पी.एच.ई)	0	0	1	पी.एच.ई. डी/आर.यू. आई.डी.पी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर	
14.	अधिशाषी अभियंता (विद्युत)	2	2	3	न्यास सेवा	
15.	सहायक अभियंता (विद्युत)	4	2	6	न्यास सेवा	
16.	कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)	10	4	14	न्यास सेवा	
17.	सहायक अभियंता (तकनीकी सहायक)	0	0	3	न्यास सेवा	
18.	सहायक वन संरक्षक	0	0	1	प्रतिनियुक्ति पर	मण्डोर उद्यान का स्वामित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर से जोधपुर विकास प्राधिकरण,
19.	रेंजर	0	0	1	प्रतिनियुक्ति पर	
20.	उद्यानविज्ञ	0	0	1	प्रतिनियुक्ति पर	

						जोधपुर को हस्तानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त मानसागर, अशोक उद्यान, गणेश मंदिर के उद्यान के लिए बागवानी हेतु प्राधिरकण के पास अतिरिक्त कोई स्टाफ नही है जिससे इन उद्यानों के रख–रखाव के लिए काफी समस्या का सामना करना पड रहा है, अतः उक्त सभी उद्यानों एवं उद्यानिकी कार्यो एवं इसके रख–रखाव के दायित्व को सुचारू रूप से निर्वहन के लिए वांचित पदों का सृजन करवाया जाना आवश्यक है।
21.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	3	3	10	न्यास सेवा	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का कार्य क्षेत्र चार जोन में यथा पूर्व, पश्चिम, उतर एवं दक्षिण जोन में विभक्त है। वर्तमान मे प्राधिकरण का वृहद कार्य क्षेत्र होने के परिणामस्वरूप आमजन के कार्य समयबद्ध सम्पादन में कठिनाई महसूस हो रही है। अतः आमजन के कार्यो तथा विकास कार्यो का समयबद्ध निस्तारण हेतु प्राधिकरण के जोन का पुर्नगठन कर वर्तमान चार जोन को छः जोन में किये जाने की प्रक्रिया की जा रही है, जिसका प्रस्ताव तैयार कर प्राधिकरण कार्यकारी समिति में रखा गया है, परिणामस्वरूप मंत्रायलिक संवर्ग में इन पदो की नवीन पदो की स्वीकृति नितांत आवश्यक है।
22.	वरिष्ठ सहायक	15	14	37	न्यास सेवा	
23.	कनिष्ठ सहायक	50	16	90	न्यास सेवा	
24.	चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी	15	10	25	न्यास सेवा	

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उप सचिव एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का (संशोधित सारणी अनुसार) अनुमोदन करते हुए प्रकरण में उप सचिव एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा) द्वारा प्रस्तुत संशोधित सारणी अनुसार नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान करने के लिए कार्यकारी समिति की पद सृजन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2022/ भाग–13/ (जे0डी0ए0/एफ0टी0एस0/94294) कार्यकारी समिति बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 31 /एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

(जय नारायण मीणा)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2022/1727-45

दिनांक ::22 सितम्बर, 2022

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05- उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, **(RAJREDCO)** 307, पिंक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
06. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/ पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
07. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम (उतर/दक्षिण) जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
09. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
10. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
12. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
13. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. उपायुक्त–पूर्व/ पश्चिम/ उत्तर/ दक्षिण/ मुख्यालय/ उपसचिव/ भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अधीक्षण अभियन्ता–I/II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
18. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. ....

(जय नारायण मीणा)
सचिव

श्री अवधेश मीणा, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 16 सितम्बर, 2022 को मध्यान्ह पूर्व 11.00 बजे आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्री संदीप वर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर
2. श्री हरजी राम चौधरी, उप अधीक्षक पुलिस, ग्रामीण पुलिस, जोधपुर
3. श्री अनिल सोनी, अधिशाषी अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
4. श्री जयेन्द्र सिंह मेहता, अधिशाषी अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
5. श्री दीपक गुप्ता, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगग, जोधपुर
6. सुश्री अमरा विश्नोई, कनिष्ठ अभियन्ता–सिविल, रीको, जोधपुर
7. श्री महेन्द्रसिंह पंवार, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8. श्री सुभाष चन्द शर्मा, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9. श्री केवलचन्द गहलोत, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री जगदीश शर्मा, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त–पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री रवीन्द्र कुमार, उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्रीमती चंचल वर्मा, उपायुक्त–उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्रीमती मृदुला शेखावत, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री राकेश शर्मा, उप सचिव एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

000
0